

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प जीको डी टाकी

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी के बयान व सहखातेदार के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व धारा 88 आर.टी.एक्ट के अनुसरण में ग्राम इरपुरा प0ह0 जामिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2076-77 में खाता संख्या 35 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.स	ग्राम / प0ह0	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	<u>इरपुरा / जामिया</u>	<u>35</u>	<u>जोफाल 35</u> <u>जगुराम</u>	<u>जोपीराम 35 जगुराम</u> <u>डिप्टी न्यायालय</u> <u>दांतारामगढ़ जिला</u> <u>दर्ज करें।</u>

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर
दिनांक:- 06.12.2021

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 476
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सुचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी प्रशासन संग गांवों के अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर।

राजेश कुमार मीणा
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर